

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22)

2328
[Signature]

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15 जून 2005 को अनुमति प्राप्त हुई तथा भारत के राजपत्र (असा0) भाग II खण्ड-1, दिनांक 21 जून 2005 में प्रकाशित

सेवा में,

श्रीमान जनसूचनाधिकारी महोदय
कार्यालय- डिप्टी जनरल मैनेजर (D.G.M.)
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आर.ए. स.कार. (नई दिल्ली)
- मित्रलिखित सूचनाओं की जांच हेतु आवेदन पत्र -

- ① यह कि निमराना (राजस्थान) से बरेली (उत्तरप्रदेश) के मध्य 765 KV DC की विद्युत लाईन विस्तार योजना के तहत जनपद समूह (उत्तरप्रदेश) के तहसील गुर्गाँ से हो का जायी है उपरोक्त योजना की पहली तहसील गुर्गाँ जनपद समूह 3000 के विन-विन गाँवों में कौन-कौन से गाँव संख्याओं में हो जायेगी के उपरान्त प्रत्येक पोल (खम्भा) कौन कौन से गाँव संख्या में स्थित है। सूचना दे।
- ② यह कि प्रत्येक पोल (खम्भा) का अक्षांश एवं देशांतर किस स्थिति में कितना-कितना तहसील गुर्गाँ के एजेंडा गाँवों में है। सूचना दे।
- ③ यह कि उपरोक्त योजना का पूरा विवरण उसके ले-आउट प्लान सहित है। सूचना दे।
- ④ यह कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत लाईन के मध्य आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 509 (मुतावाड आगा (भाग) की अक्षांश) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से जो भी अनुमति उपरोक्त योजना के तहत ली है उसकी सूचना अनुमति आदेश की जायगी की सहित। सूचना दे।
दिनांक 28/05/2005
Mobile 9219373522

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय- डिप्टी जनरल मैनेजर (D.G.M.)
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
आर.ए. स.कार. (नई दिल्ली)
कचहरी- गुर्गाँ जिला- समूह 3000

नोट :- महोदय उपरोक्त अधिनियम के अनुसार आपके विभाग/कार्यालय/प्रतिष्ठान से सवाल पूछें या मांगें/सरकारी दस्तावेजों की प्रति ले, उनकी जांच कराना, सरकारी कार्य में प्रयोग हाने वाली हर वस्तु की जांच विभागीय काम काज की जांच कराना साथ ही दास्तावेजों की प्रति प्राप्त कराना एवं फायनल नोटिस इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी प्रपत्र प्राप्त करना शामिल हैं।

विशेष :- उपरोक्त सूचना समयावधि के अन्तर्गत न देने पर प्रतिदिन के हिसाब से 250/- रू0 से लेकर 25,000/- रू0 तक श्रीमान् जी को जुर्माना देना पड़ सकता है।

शुल्का का विवरण :- आवेदन पत्र शुल्क 20 रू0 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या- 224467126 है साथ सलग्न है।

